



2026:AHC:17867

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट याचिका - बी संख्या - 4279/2025

आशीष कुमार मिश्रा और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	आशीष सोमवंशी, विनय कुमार राय
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. श्री आनंद मोहन राय, विद्वान अधिवक्ता, श्री विनय कुमार राय, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के ब्रीफ होल्डर, तथा राज्य-प्रत्यर्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा सूची पर रखे अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. यह रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुतोष के लिए दायर की गई है:

"i. परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश या निदेश जारी कर प्रत्यर्थी संख्या 2, चकबंदी अधिकारी, बदलापुर, जिला जौनपुर को यह निदेश दिया जाए कि वह वाद संख्या टी.बी., आशीष बनाम नन्हकू एवं अन्य, चकबंदी जोत अधिनियम की धारा 9ए(2) के अंतर्गत, का विनिश्चय माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समयबद्ध अवधि के भीतर यथाशीघ्र करे।"

3. यह प्रस्तुत किया गया है कि मामला वर्ष 2022 से विचाराधीन लंबित है; तथापि, उसे शीघ्र विनिश्चित कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को उपरोक्त मामले के शीघ्र निस्तारण हेतु निदेश जारी किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. उपरोक्त परिप्रेक्षा में, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, अतः इस न्यायालय को यह उचित प्रतीत होता है कि वर्तमान रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, चकबंदी अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या 2), जिनके समक्ष उपरोक्त मामला निस्तारण हेतु लंबित है, को यह निदेश देते हुए वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाए कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से अधिमानतः छः माह की अवधि के भीतर उक्त मामले का शीघ्रता से निर्णय करें।

6. उपरोक्त निदेश के साथ, वर्तमान आवेदन निस्तारित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

27 जनवरी, 2026

विनय